कार्यालय : आयकर निदेशक (छूट), सातवीं मंजिल, मयूर भवन, नई दिल्ली

450 9.8.02

सं0रां0आ0नि0(छूट)/2001-02

आवेदन का नाम व पता — कहकशां आरामनाइजेशन फॉर सोशल कन्सर्न 103 आपरेशन ओखला रोड जामिया नगर नई दिल्ली

विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क के (1) (ख) के साथ पठित धारा 12क के अन्तर्गत पंजीकरण का आदेश

1 धारा 12क के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए फार्म संख्या 10ए में एक आवेदन पत्र 13/2/02 को प्रस्तुत किया गया था।

2 इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने में ———— दिनों का विलम्ब हुआ था, इस विलम्ब को माफ करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दी गयी।

3 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी का गठन, दिनांक 19/12/01 द्वारा पत्रेख/सोसायटी के ज्ञापन के द्वारा किया गया है। न्यास/संगम (एसोसिएशन), सोसायटी/बिना लाभ के कम्पनी के उद्देश्य, न्यास के पत्रेख/संगम (एसोसिएशन) के ज्ञापन पैरा संख्या ———— में दर्शाये गए है।

4 न्यास/प्रबन्धक के कथनानुसार जो कि उनके दिनांक ———— के पत्र द्वारा भी सूचित किया गया है, के अनुसार न्यास का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों ———— आयोजित करना होगा।

5 इस कार्यालय द्वारा निरीक्षक के माध्यम से न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों की जाँच करवायी गयी थी। जाँच रिपोर्ट के अनुसार सोसायटी का कार्यालय ———— पर विशेष गतिविधियों को संचालित करने के लिए निम्नलिखित ढांचा इसके पास उपलब्ध है ————

6 इस विलेख में कोई गैर धर्मार्थ कार्य करने का उद्देश्य नहीं है जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सोसीराज न्यास (103 आईटीआर 777) के मामले में दिये गये निर्णय के विरुद्ध है। ज्ञापन/न्यास के विलेख और न्यास की वास्तविक गतिविधियों के अवलोकन करने/मेरे समक्ष किए गए वायदे के अनुसार मैं पूर्ण तरह से सन्तुष्ट हूँ कि यह धारा 12ए/12एए में दी गयी शर्तों को यह पूरा करता है। न्यास की गतिविधियाँ वास्तविक है और धर्मार्थ कार्य है। धारा 12एए (1)(बी) के साथ पठित धारा 12ए के अन्तर्गत दिनांक 19/12/01 से पंजीकरण एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाये।

शर्तें :—

1 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए(1) (बी) के साथ पठित धारा 12ए(क) के अन्तर्गत जारी आदेश से आवेदक को धारा 11,12 तथा/अथवा 13 में अपनी आय कर से छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। आय पर छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब निर्धारण अधिकारी इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हो कि संचालित की जा रही घोषित तथा प्रतिज्ञात (प्रोमिस्ड) गतिविधियाँ वास्तविक है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्धित निर्धारण वर्ष में उसका दावा किया गया है। और उन पर लागू सभी कानूनी प्रावधानों को पूरा करता है।

2 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी इस अधिनियम की धारा 139(4ए)(ii) व (iii) में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त करेगी तथा अपने स्थायी लेखा नम्बर से इस कार्यालय को सूचित करेगी।

3 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी नियमित रूप से अपने लेखे का रखरखाव करेगी और आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 12ए(ब) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसकी लेखा परीक्षा करवायेगी। ज्ञापन में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक गतिविधि का अलग-अलग लेखा रखना होगा। इस लेखे की एक-एक प्रति निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। संगठन द्वारा की जा रही अथवा की जाने वाली गतिविधियों की सूचना तथा लाभान्वित होने वाले समुदायों से सम्बन्धित, सार्वजनिक सूचना अपने पंजीकृत/मुख्य कार्यालय पर लगानी पड़ेगी।

4 अनुमोदित अधिनियम की धारा 11(1)(ग) के अनुपालन में मुक्त राशि के लिए कारपस के अतिरिक्त राशि और अभिदान के लिए अलग खाता रखना जरूरी

5 सभी सामाजिक राशि, सीधे से प्राप्त राशि तथा अंशदान का संचालन, बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए इसे कार्यालय को सूचित करनी होगी।

6 न्यास के विलेख/सोसायटी के ज्ञापन में किसी प्रकार का परिवर्तन, संबंधित सक्षम न्यायालय/समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन बिना प्रभावी नहीं होगी। आय पर आय कर अधिनियम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुख्य उद्देश्यों पर बिना किसी परिवर्तन के भविष्य में भी निष्ठा पूर्वक कार्य करना होगा।

7 अपोहस्तांतरित को सूचित किए बिना कोई भी सम्पत्ति किसी को भी हस्तान्तरित नहीं की जा सकती क्योंकि न्यास/सोसायटी/बिना लाभ वाली कम्पनी की नहीं न है।

8 यदि बाद में यह पाया जाता है कि यह पंजीकरण गलतबयानी/विवरण या किसी तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

9 आयकर अधिनियम की धारा 12एए के साथ पठित धारा 12क के अन्तर्गत एतद्द्वारा आदेश पारित किया जाता है तथा इसका इन्दराज इस कार्यालय के रजिस्टर में कर दिया गया है।

Director of Income Tax (Exemption) New Delhi

(एम0एस0 राय)
आयकर निदेशक (छूट), नई दिल्ली

आयकर निदेशक (छूट)
सातवीं मंजिल, मयूर भवन
नई दिल्ली

(हरीश कुमार)
सहायक निदेशक (छूट), नई दिल्ली

हरीश कुमार
आयकर सहायक निदेशक (छूट) मुख्य

प्रतिलिपि :—

1 प्रस्तुत आवेदक
2 निर्धारण अधिकारी और सीआईटी
3 आयकर आयुक्त (छूट)